

माह-जनवरी 2025 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर, गाडरवारा, तेंदूखेडा एवं गोटेगांव की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। अवकाश के दिनों में कॉलम क्रमांक 01 में वर्णित मजिस्ट्रेट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

// नरसिंहपुर //

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	माह जनवरी 2025
1	श्री भारत सिंह रघुवंशी	12
2	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव	14
3	श्री राधाकृष्ण यादव	18
4	श्रीमती ऐश्वर्या जैन	01, 02
5	सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव	03, 19
6	सुश्री कशिश कुरैशी	05
7	श्री दिव्यांश लोवंशी	04, 26

// गाडरवारा //

1	श्री अश्विन परमार	04, 18
2	श्री अजय सिंह यादव	03, 19
3	श्री विनय सोनी	12, 14
4	सुश्री शाम्मवी सिंह	05, 26
5	श्री यश शर्मा	01, 02

// गोटेगांव //

1	श्री बॉबी सोनकर	01, 02, 03, 04, 05, 12, 14, 18, 19, 26
---	-----------------	--

// तेंदूखेडा //

1	श्री अरविंद मीणा	01, 02, 03, 04, 05, 12, 14, 18, 19, 26
---	------------------	--

नोट :-


(1) रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति बाबत, आवेदन में लेख करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति लिखित रूप में पृथक् से आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, जिसकी पूर्व अनुमति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर से ली जावेगी।

- (2) रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण/स्थानांतरण पर जाने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके न्यायालय का कार्य सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, किन्तु उक्त प्रशिक्षण/स्थानांतरण से प्रभावित मजिस्ट्रेट, का यह दायित्व होगा कि उक्त कारण की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से सूचित करें।
- (3) अन्य कोई विशेष अवकाश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, तो माह जनवरी 2025 में नरसिंहपुर मुख्यालय में श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर, गाडरवारा न्यायालय में श्री यश शर्मा जे.एम.एफ.सी गाडरवारा, गोटेगांव न्यायालय में श्री बॉबी सोनकर जे.एम.एफ.सी गोटेगांव एवं तेंदूखेड़ा न्यायालय में श्री अरविंद मीणा जे.एम.एफ.सी तेंदूखेड़ा के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।
- (4) श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर की नियत रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक को यदि कोई प्रोटोकॉल अथवा अर्जेंट कार्य आता है, तो मुख्यालय में उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

सही / -
(प्रसन्न सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म.प्र.

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, नरसिंहपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे जिले के सभी आरक्षी केंद्र जिला नरसिंहपुर को उक्त रिमाण्ड आदेश की प्रति भेजकर उन्हें सूचित करें।
- 4-समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5-जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि तहसील न्यायालय में पदस्थ अभियोजन अधिकारियों को भी सूचित करें।
- 5- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6-सिस्टम आफिसर नरसिंहपुर की ओर जिला नरसिंहपुर के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ई-मेल आई डी पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(प्रसन्न सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म.प्र.